



ऐसे स्कूल जो पहले से ही बोर्ड द्वारा सम्बद्धित है और बोर्ड के साथ अपनी सम्बद्धता जारी रखना चाहते हैं / सी०बी०एस०ई० से सम्बद्धता का उन्न्यन चाहते हैं उनके लिए जिला शैक्षिक अधिकारी के द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

(एनसीपीसीआर तथा नेशनल बिल्डिंग कोड के द्वारा विकसित मैनुअल ऑन सेफटी एण्ड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रेन इन स्कूल, एनडीएसए द्वारा जारी स्कूल सेफटी पॉलिसी, 2016 के अनुसार)

#### भाग-ए

(यह भाग स्कूल को भरना है तथा सभी प्रमाण-पत्र उनके मूल रूप में जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है।

#### सामान्य सूचना

1	सी०बी०एस०ई० के साथ स्कूल की सम्बद्धता संख्या:	2132410
2	सी०बी०एस०ई० के सम्बद्धता पत्र के अनुसार स्कूल का नाम:	Aatmdeep Vidyalaya
3	स्कूल का पता:	Siklau, Deoria Bypass Road, Gorakhpur.
4	जिस श्रेणी/स्तर/कक्षा तक स्कूल चल रहा है:	XII (Senior Secondary)
5	क्या स्कूल का नाम, तथा पता सी०बी०एस०ई० सम्बद्धता पत्र तथा राज्य के एन०ओ०सी०/प्रमाण पत्र/यू-डायस में एक समान है:	Yes
6	स्कूल को प्राप्त यू-डायस कोड:	09582004703
7	वर्तमान तिथि के अनुसार ट्रस्ट/सोसाइटी/कम्पनी का नाम तथा पता (सेक्सन-8 के तहत):	Aatmdeep Vidyalaya
8	क्या ट्रस्ट/सोसाइटी/कम्पनी किसी सक्षम पंजीकृत प्राधिकरण से पंजीकृत है और वर्तमान तिथि में वैध है:	Yes
9	आवेदन का उद्देश्य :	Extension
10	विद्यालय का स्थान:	Siklau, Gorakhpur
10ए	क्या स्कूल को कक्षा-1-8 तक की अनुमति सरकार के द्वारा दी गयी है?	Yes
11	पहचान पत्र जो कक्षा 1-8 तक ली गई है उसकी संख्या	C/544/2018 [Date - 8-8-2018]
12	क्या विद्यालय सी०बी०एस०ई० कक्षा-10 या कक्षा-12 के अतिरिक्त किसी अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त है?	No

#### मूमि विवरण की सूचना

13	क्या स्कूल ऐसे एक ही प्लाट पर स्थित है जो चारों तरफ से पक्के बाउण्ड्रीवाल से घिरा हुआ है?	Yes
----	---	-----

जिला विद्यालय नियोक्तक  
गोरखपुर

14	क्या स्कूल तथा खेल का मैदान ऐसे एक ही प्लाट में स्थित है जो संयुक्त रूप से चारों तरफ से पक्के बाउण्ड्रीवाल से घिरे हुए हैं?	Yes
15	उपरोक्त कम संख्या 13 व 14 के तहत स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	6565 Sq Mt.
16	स्कूल या सोसाइटी या ट्रस्ट या कम्पनी की भूमि पर कब्जा किस प्रकार से वैध है?	Land Lease
17	बिन्द-16 में दी गयी भूमि के मालिक/पटेदार का नाम	Sankarshan Tripathi Indra Tiwari
18	यदि सोसाइटी या स्कूल के कब्जे वाली भूमि राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुरूप बनाये गये पट्टे पर हैं तो पट्टे की अवधि:	30 Years
19	क्या बिन्दु 15 में दी गयी भूमि से कोई सार्वजनिक सड़क या कोई मार्ग या नहर या हाईटेंशन लाइन गुजरती है?	No

#### आवश्यक सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में जानकारी

20	क्या स्कूल का सरकारी इन्जीनियर के द्वारा निरीक्षण किया गया है तथा भवन को संरचनात्मक रूप से स्कूल संचालन के लिए सुरक्षित पाया गया है?	Yes
20ए	यदि हाँ तो अन्तिम निरीक्षण की तिथि:	23-08-2010
21	क्या स्कूल का सरकारी अग्निशमन विभाग के अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया है। तथा स्कूल को अग्नि सुरक्षा के हिसाब से सुरक्षित पाया गया?	Yes
21ए	यदि हाँ तो अन्तिम निरीक्षण की तिथि:	22-10-2019
22	क्या स्कूल परिसर का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निरीक्षण किया गया है तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की स्थिति को संतोषजनक तथा पीने के पानी को सुरक्षित पाया गया है?	Yes
22 ए	यदि हाँ तो निरीक्षण की अन्तिम तिथि:	22-10-2019

#### कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचनाएं—

23	क्या स्कूल के पास पूर्ण सेवा नियमावली है जो उपयुक्त सरकार के कर्मचारियों के सेवा शर्तों के प्रावधानों के अनुरूप है?	Yes
24	क्या विद्यालय शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को सरकार के मानकों के अनुसार वेतन प्रदान कर रहा है?	Yes
25	क्या विद्यालय शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को वेतन बैंक द्वारा इलेक्ट्रनिक मोड से प्रदान कर रहा है? (चेक अथवा कैश भुगतान की अनुमति नहीं दी जाती है)	Yes

जिला विद्यालय निरीक्षक  
गोरखपुर

26	क्या विद्यालय शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को सरकार के मानकों के अनुसार ₹०५००० प्रदान कर रहा है?	Yes
----	---	-----

*Signature*  
MANAGER  
School Management Committee  
स्कूल मैनेजर का हस्ताक्षर सहित  
Atmideep Vidyalaya

*Anju*  
PRINCIPAL  
PRINATMIDEEP VIDYALAYA  
Siklaur, Gorakhpur, Gorakhpur  
प्रिनिटमीडीप विद्यालय गोरखपुर गोरखपुर

### भाग-बी

(सभी मूल दस्तावेजों व प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने और स्कूल देखने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को इस भाग को भरना होगा।

फाइल सं. ९६०३

जारी करने की तिथि ०१/१२/१९

1	यह सत्यापित करने के लिए कि विद्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी सभी दस्तावेजों और सर्टिफिकेट के आधार पर सत्यापित की गयी है और स्कूल विजिट पर भी सभी को सत्य पाया गया है।
2	क्या स्कूल को संबद्धता के विस्तार/उन्नयन के लिए अनुशसित किया गया है?

जिला विद्यालय विभाग के नियंत्रण के अनुशासित किया गया है।  
गोरखपुर गोरखपुर

*NT(S)*  
३०/११/१९